इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595] भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर 2017—कार्तिक 10, शक 1939

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश एम. डी. (आयुर्वेद)/एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम—2017

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2017

क्र. एफ-1-18-2017-1-उनसठ.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28 अगस्त 2017 में अधिसूचित ''मध्यप्रदेश एम. डी. (आयुर्वेद)/एम. एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2017'' के नियम-27 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्:—

(1) 15(2) — अपग्रेडेशन के लिये पात्रता :—

''उक्त नियमों में अपग्रेडेशन प्रक्रिया द्वितीय चरण से शामिल की जा रही है. उक्त नियमों में निहित प्रावधानों के होते हुये, जिन अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट्स में अपग्रेडेशन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जावेगा बशर्ते उनके द्वारा प्रथम चरण की काउंसिलिंग उपरान्त आवंटित सीट पर नियमानुसार प्रवेश निरस्त करा लिया गया हो.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा दुबे, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.